हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/3/21	
पत्रावली पेश। वकीलान उभय वादी का वाद राजीनामा मुताबिक निर्णित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर बाद रजिस्टर शामिल मिसल की गई। पत्रावली फैसला मुताबिक तैयार कर बाद मिलान दाखिल रिकार्ड हो महायक कलक्टर (SDO), खींवसर	

वादी का नाम सशोंधन के सबंध में तहसीलदार खींवसर की जाचं रिपोर्ट त्रांक/कमांक/भू.अ./कोर्ट प्रत्युत्तर/21/4325 दिनांक 15.03.2021 के द्वारा अपनी जाचं रिपोर्ट में निवेदन किया की पक्षकारान ने अपने कलमबद्व बयानों में बताया की उभयपक्षकारान ग्राम करणू (वर्तमान में नया राजस्व ग्राम सिंधीपुरा) खसरा नबंर 2019 रकबा 36.02 बीघा, ख.न. 2020 रकबा 28.00 बीघा ख.न. 2021 रकबा 45 बीघा खातेदार पीथाराम पुत्र बिशनाराम जाति बाम्हण सा. करणू से कय की । कय की कुल भूमि में 1/3 हिस्सा वादी समसुदीन एवं 2/3 हिस्सा प्रतिवादी रजाक मो0 का है।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपने बहस में यह भी कथन किया की तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट अनुसर वादी एवं प्रतिवादी के बयानात निजी पहचान के दस्तावेजानुसार प्रश्नगत प्रकरण के खातेदार समसुदीन हासमदीन, रजाक मो. पिता अमीर अली ने होकर समसुदीन पुत्र हासनदीन व रजाकमो. पुत्र अमीरअली जाति मुसलमान सिपाई सा. सिंधीपुरा शुद्व अंकन है। उक्त रिपोर्ट अनुसार ही वादी का नाम शुद्व किये जाने का श्रम करावें।

पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड, वादी का वाद, तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट पत्रांक/कमांक/भू.अ./कोर्ट प्रत्युत्तर/21/4325 दिनांक 15.03.2021 से मैं सहमत हूँ

अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत राजस्व रेकर्ड में खातेदार समसुदीन हासमदीन, रजाक मो. पिता अमीर अली के स्थान पर समसुदीन पुत्र हासनदीन व रजाकमो. पुत्र अमीरअली जाति मुसलमान सिपाई सा. सिंधीपुरा शुद्व करने के आदेश दिये जाते है।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड का गहनता पूर्वक अवलोकन करने से यह स्पष्ट रूप से ताईद होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की सयुंक्त कब्जा काश्त एवं सयुंक्त खातेदारी की है जिसका इन सभी खातेदारों को अपनी संयुक्त खातेदारी की आराजी का सहमति के द्वारा आपसी बंटवाड़ा करने का अधिकार है।

अतः अन्तर्गत धारा 53,88,188 के तहत उभयपक्षकारान के मध्य जरिये राजीनामा, राजीनामा अनुसार वादी के वाद डिकी किया जाता है :-

1. मौजा सिन्धीपुरा के खेत खसरा नबंर 2019 रकबा 36.02 बीघा वादी के बंट एवं खातेदारी घोषित की जाती है।
2. मौजा सिन्धीपुरा के खेत खसरा नबंर 2020 रकबा 28 बीघा, खसरा बंर 2021 रकबा 45 बीघा प्रतिवादी सख्यां 01 रजाक मोहम्मद के के बंट एवं खातेदारी घोषित की जाती है।
3. वादग्रस्त भूमि में गलत रूप से दर्ज समसुदीन, हासमदीन, रजाक मोहम्मद पिता अमीर अली के स्थान पर समसुदीन पुत्र हासम खां व रजाक मोहम्मद पुत्र अमीर अली सही दुरूस्त किया जाता है।
4. खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

राजकेश मीना RAS
उपखण्ड अधिकारी
खींवसर
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) खींवसर

निर्णय आज दिनांक 19.03..2021 को सरेइजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना/RAS
उपखण्ड अधिकारी
खींवसर
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) खींवसर